खंड . 3 अंक . 4 नवम्बर 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

केंद्रीय जल आयोग CENTRAL WATER COMMISSION आपो ज्योति रसोऽमृतम्

संदेश

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ.

इस माह में, देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई जिसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29.10.2020 को हुई अपनी बैठक में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के चरण II और चरण III को मंजूरी दी. शुरू में इस परियोजना में उन्नीस राज्य और तीन केंद्रीय एजेंसियां शामिल की जायेंगी. दस वर्षों की कार्यान्वयन अवधि के साथ बजट का परिव्यय 10,211 करोड़ रूपए है. परियोजना को दो साल के ओवरलैप के साथ छह साल की अवधि वाले दो चरणों में लागू किया जाएगा. डीआरआईपी के पहले चरण, जिसमें सात राज्यों में 223 बांधों को शामिल किया गया था, इन बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के साथ-साथ प्रबंधन दृष्टिकोण की एक प्रणाली के माध्यम से संस्थागत मजबूती प्रदान की है. परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के.ज.आ. द्वारा परियोजना निदेशालय के माध्यम से की जाएगी जो पहले ही स्थापित किया जा चुका है.

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जलशक्ति मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश और श्री के. चंद्रशेखर राव, माननीय मुख्यमंत्री, तेलंगाना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 06.10.2020 को आयोजित हुई. इस बैठक में जीआरएमबी और केआरएमबी के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित अधिसूचना, केआरएमबी मुख्यालय, गोदावरी और कृष्णा के जल से संबंधित विवादों, नई परियोजनाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए गए.

वृहत् और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में निवेश मंजूरी के बारे में सिफारिशें करने के लिए गठित निवेश मंजूरी समिति की 14वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव(ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि.) की अध्यक्षता में 22.10.2020 को आयोजित की गई. हिमाचल प्रदेश और मणिपुर की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं और बिहार की कोसी मेची लिंक परियोजना पर समिति द्वारा विचार किया गया और स्वीकृति दी गई.

जल क्षेत्र के नए ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) में संशोधन की परिकल्पना की गई थी और योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. मिहिर शाह की अध्यक्षता में 2019 में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था. मसौदा समिति के साथ एक परामर्श बैठक 09.10.2020 को आयोजित की गई जिसमें के.ज.आ. के मत प्रस्तुत किए गए.

राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्लूए) ने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की है. अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग के साथ सहभागिता विकसित की गई है और एनडब्लूए द्वारा अन्य औद्योगिक भागीदारों के साथ "सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली" पर पहला संयुक्त ऑन-लाइन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है. यह पाठ्यक्रम 07.10.2020 को शुरू किया गया. जल विवादों की उचित समझ, विभिन्न प्रकार के विवादों के समाधान में शामिल प्रक्रियाओं और सभी हितधारकों को उनके कार्य क्षेत्र में जल संघर्ष के समाधान में प्रभावी योगदान करने के लिए उनके कौशल में वृद्धि करने हेतु "भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद" पर एक वेबिनार श्रृंखला एनडब्लूए, पुणे द्वारा संकल्पित की गई है. यह वेबिनार श्रृंखला 19.10.2020 को शुरू हुई.

श्री आर.सी. झा, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ. का दिनांक 24.10.2020 को स्वर्गवास हो गया. के.ज.आ. की ओर से मैं उनके असामयिक निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से पुण्य आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.

राजेन्द्र

विषय-वस्तु

- बाह्य सहायता प्राप्त डीआरआईपी चरण II और चरण III हेतु कैबिनेट की मंजूरी
- खारस्वती परियोजना की डीपीआर
- एपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक
- तिलैया - धाधर डायवर्जन योजना के बारे में वार्ता समिति की तीसरी बैठक
- निवेश मंजूरी समिति की 14वीं बैठक
- के.ज.आ.-सीपीआर समन्वय बैठक
- सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दक्षिण-एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं का वर्चुअल लॉन्च
- सीएपी परियोजना के लिए संचालन समिति की दूसरी बैठक
- बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए नीतियों के निर्माण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए बैठक
- 7वें भारत जल सप्ताह हेतु तैयारी की गतिविधियाँ
- राष्ट्रीय जल नीति के संशोधन के संबंध में पांचवीं परामर्श बैठक
- देश में बाढ़ की स्थिति
- "भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए सिंचाई जल उपयोग दक्षता वर्धन" पर राष्ट्रीय वेबिनार
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक
- अयोध्या बैराज
- जलाशय प्रबोधन
- आईएमसीटी का दौरा
- एनएबीएल मान्यता प्राप्त के.ज.आ. की जल गुणवत्ता प्रयोगशालायें
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्स
- डब्ल्यूआरडीसी के स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेट्जिक रोड मैप की तैयारी के लिए कार्यदल की बैठक
- ट्रेड टॉक्स पर वेबिनार
- "भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों पर वेबिनार"
- शोक सन्देश
- इतिहास-भाखड़ा समर्पण दिवस

बाह्य सहायता प्राप्त डीआरआईपी चरण II और चरण III के लिए कैबिनेट की मंजूरी

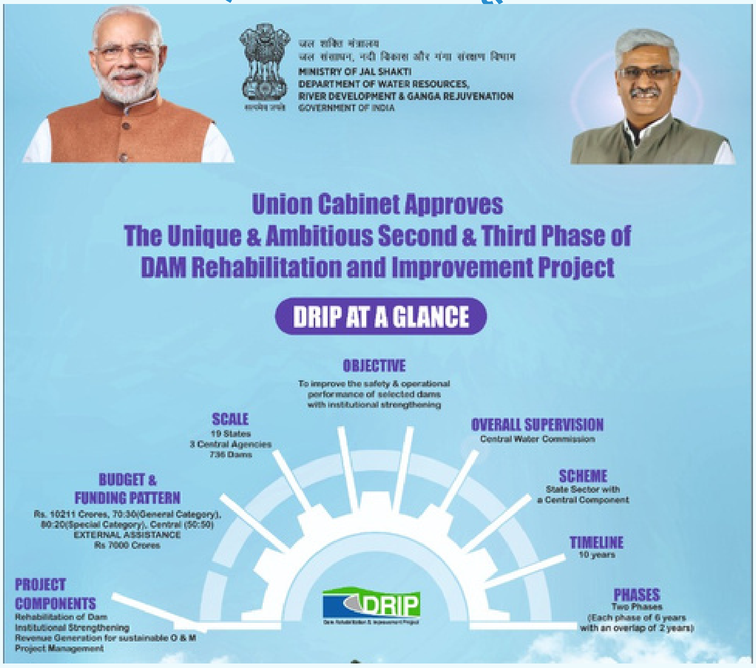

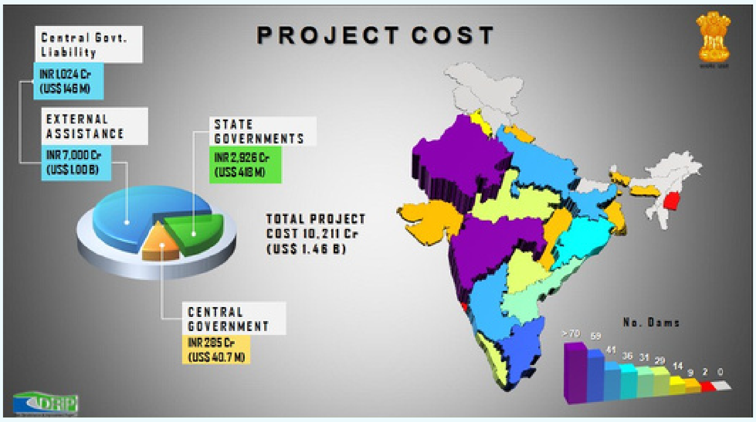

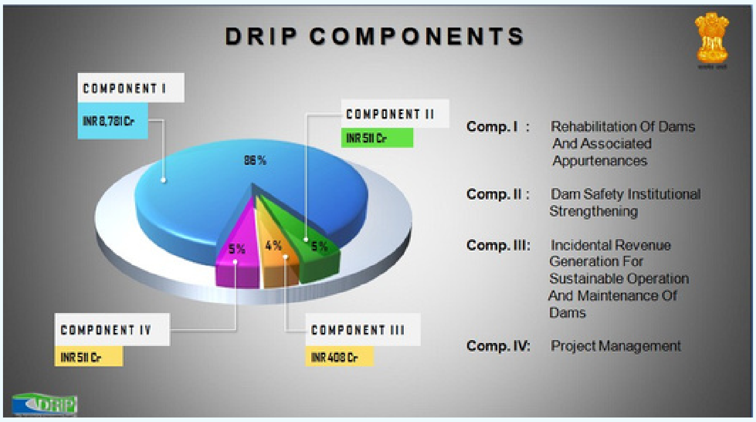

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29.10.2020 को हुई अपनी बैठक में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के चरण II और चरण III को मंजूरी दी है. शुरू में इस परियोजना में उन्नीस राज्य और तीन केंद्रीय एजेंसियां शामिल की जायेंगी. दस वर्षों की कार्यान्वयन अवधि के साथ बजट का परिव्यय 10,211 करोड़ रूपए है. परियोजना को छह साल की अवधि वाले दो चरणों में दो साल के ओवरलैप के साथ लागू किया जाएगा. यह कार्यक्रम प्रमुख बांधों के भौतिक पुनर्वास के साथ-साथ बांध संचालकों की क्षमता संवर्धन के लिए वित्तपोषण करेगा ताकि बांधों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षित और कुशल मानवशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

भारत 5334 बड़े बांधों के परिचालन के साथ में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है. इसके अलावा वर्तमान में लगभग 411 बांध निर्माणाधीन हैं. कई हजार छोटे बांध भी हैं. ये बांध देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. भारतीय बांध और जलाशय सालाना लगभग 300 अरब घन मीटर पानी का भंडारण करके हमारे देश की आर्थिक एवं कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये बांध संपत्ति प्रबंधन और सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी जिम्मेदारी हैं. रखरखाव और अन्य सुरक्षा मुद्दों के कारण ये बांध विफलता से संबंधित जोखिम पैदा कर सकते हैं. बांध की विफलता के परिणामस्वरुप, मानव जीवन, संपत्ति और पारिस्थितिकी का नुकसान विनाशकारी हो सकता है.

डीआरआईपी के पहले चरण, जिसमें सात राज्यों में 223 बांधों को शामिल किया गया था, इन बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के साथ-साथ प्रबंधन दृष्टिकोण की एक प्रणाली के माध्यम से संस्थागत मजबूती प्रदान की है.

क्रियान्वित की जा रही डीआरआईपी से प्राप्त गति को और आगे बढ़ाने तथा इसे समग्र रूप से विस्तारित करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्रत्येक बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहभागिता से एक नई योजना डीआरआईपी चरण II को देश के 19 राज्यों में बड़े बांधों को शामिल करते हुए शुरू किया गया है. यह योजना विशेष रूप से बांध की विफलता के खतरों को कम करने व लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नदी की पारिस्थितिकी को बनाए रखने और संरचनात्मक /गैर-संरचनात्मक उपायों जैसे भौतिक पुनर्वास, संचालन और रखरखाव मैनुअल की तैयारी, आपातकालीन कार्रवाई योजनाएं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और विभिन्न अन्य उपायों के माध्यम से इन चयनित बांधों के अनुप्रवाह पर स्थित संपत्ति की रक्षा पर केंद्रित है.

इन चयनित बांधों की देख-रेख और सुरक्षा चिंताओं का समाधान करते हुए इन चयनित जलाशयों की उपयोग अवधि को विस्तारित किया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप ये परिसंपत्तियां सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों को लंबे समय तक जनता के लिए कुशलतापूर्वक योजनाबद्ध ढंग से प्रदान करेंगी. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, भौतिक पुनर्वास के अतिरिक्त,एक वर्ष में सभी मौसमों के दौरान बांधों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षित और कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बांध प्राधिकारियों की क्षमता संवर्धन के लिए समान रूप से ध्यान दिया गया है. विभिन्न तकनीकी और प्रबंधकीय पहलुओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बांध प्राधिकारियों हेतु विश्वसनीय और वैज्ञानिक रूप से बांध सुरक्षा के मामलों से निपटने के लिए ज्ञान का एक कोष बनाने में मदद करेंगे.

भारत के बांध पोर्टफोलियो के आकार और इन मौजूदा परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव में चुनौतियों के मद्देनजर, भारत सरकार देश भर में बांध सुरक्षा पेशेवरों की टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. आईआईएससी, बेंगलुरु और आईआईटी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी का प्रावधान और बांध प्राधिकारियों के साथ पांच (5) केंद्रीय एजेंसियों का क्षमता संवर्धन "आत्म निर्भर भारत" को मजबूती प्रदान करेगा. यह हमारे बांध प्राधिकारियों की सहायता के लिए आवश्यक ज्ञान और मानव संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करेगा. इससे भारत विशेषकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बांध सुरक्षा के विषय में स्वयं को एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप स्थापित कर सकेगा.

यह कार्यक्रम राज्यों और बांध प्राधिकारियों को इन सुरक्षा प्रोटोकॉल और गतिविधियों को चयनित बांधों के अलावा उनके अधिकार क्षेत्र में अन्य सभी बांधों पर लागू करने एवं देश में बांध सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा. यह कार्यक्रम बांध प्राधिकारियों के साथ-साथ प्रस्तावित नियामकों के क्षमता संवर्धन और बांध सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का निर्माण करके बांध सुरक्षा विधेयक 2019 के प्रावधानों को मजबूती प्रदान करता है. इससे अकुशल श्रमिकों के लिए लगभग 10,00,000 व्यक्ति दिन और पेशेवरों के लिए 2,50,000 व्यक्ति दिन के बराबर रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना है.

यह कार्यक्रम देश की जल सुरक्षा में वृद्धि करेगा और सतत विकास का समर्थन करेगा.

माननीय गृह मंत्री द्वारा बाढ़ की स्थिति पर की गई बैठक के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा बैठक

सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. ने माननीय गृह मंत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई के बारे में चर्चा करने के लिए 21.10.2020 को एक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में गतिविधि में शामिल सभी हितधारकों ने भाग लिया. बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि 3-दिवसीय बाढ़ संबंधित सलाहकारी को आगामी बाढ़ के मौसम से 5-दिन तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही निर्णय समर्थन प्रणाली के लंबित विकास को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन हेतु एकीकृत जलाशय संचालन को बाढ़ संकट के समय में इस उद्देश्य के लिए गठित बाढ़ संकट प्रबंधन टीम (एफएमसीटी) के साथ, बैठक करके क्षेत्रीय स्तर पर संचालित किया जा सकता है.

खारस्वती परियोजना की डीपीआर

के.ज.आ. और जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के बीच सर्वेक्षण व अन्वेषण करने तथा 31 सिंचाई योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए 29.08.2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. 31 परियोजनाओं में से, 20 परियोजनाओं का कार्य ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन संगठन (बी एंड बीबीओ), के.ज.आ., शिलॉग को सौंपा गया है, जबकि यमुना बेसिन ऑर्गेनाइजेशन (वाईबीओ, के.ज.आ., नई दिल्ली) के अंतर्गत 11 परियोजनाओं का कार्य प्लानिंग सर्कल, के.ज.आ., फरीदाबाद को दिया गया है. दिसंबर, 2017 में उक्त कार्य की 10% स्वीकृत अनुमानित लागत को जारी किया गया. तदनुसार, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने के लिए कार्य जनवरी, 2018 से शुरू किए गए. सभी योजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार को जून, 2018 में प्रस्तुत की गई थी.

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला ब्लॉक के आदिवासी क्षेत्र में स्थित खारस्वती सिंचाई योजना एक महत्वपूर्ण योजना है. विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के बाद, इस सिंचाई योजना की डीपीआर प्लानिंग सर्कल, के.ज.आ., फरीदाबाद द्वारा तैयार की गई है और इसे जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार को 26.10.2020 को प्रस्तुत किया गया है. इस योजना में 2150 हेक्टेयर का जीसीए और 1350 हेक्टेयर का सीसीए है. 150% सिंचाई तीव्रता पर परियोजना की वार्षिक सिंचाई 2025

हेक्टेयर आंकी गई है. खारस्वती सिंचाई योजना का बी.सी. अनुपात 1.22 है. परियोजना से अन्य लाभ कमान में 10000 ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति, मछलीपालन, पशुपालन और पर्यटन का विकास है.

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों नामतः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित किया गया. अन्य प्रशासनिक मामलों के साथ, यह अधिनियम, दोनों राज्यों में जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास के लिए शीर्ष परिषद, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी) और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) का गठन, पोलावरम सिंचाई परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषणा आदि प्रावधान करता है.

शीर्ष परिषद् का नेतृत्व जल संसाधन मंत्री (वर्तमान में, जलशक्ति मंत्रालय), भारत सरकार करतें हैं और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं. शीर्ष परिषद को जीआरएमबी और केआरएमबी के कामकाज का संचालन, कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी पर आधारित नई परियोजनाओं की योजना बनाने / अनुमोदन और उपर्युक्त नदी जल के बंटवारे से संबंधित विवादों का निपटान करने की जिम्मेवारी है.

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश और श्री के. चंद्रशेखर राव, माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 06.10.2020 को आयोजित की गई. बैठक में ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., जीआरएमबी, केआरएमबी और के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में लिए गए निर्णयों का सारांश इस प्रकार है:

- जीआरएमबी और केआरएमबी के क्षेत्राधिकार को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा. इस पर तेलंगाना के माननीय सीएम ने अपनी असहमति व्यक्त की. माननीय केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह एपीआरए-2014 के अनुसार इस तरह की अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार को विशेषाधिकार है और इस प्रकार एपीआरए-2014 के अनुसार इसे अधिसूचित किया जाएगा.

- आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम,1956 की धारा -3 के तहत एक न्यायाधिकरण हेतु तेलंगाना के अनुरोध पर विचार करने के लिए, तेलंगाना को इस विषय पर सर्वोच्च

न्यायालय में दायर मामले को वापस लेना होगा. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को इस तरह का आश्वासन मिलने के बाद, इस पर कानूनी राय लेनी होगी कि इस मामले पर सुनवाई करने के लिए क्या एक नया ट्रिब्यूनल ही बनाना होगा या इस मामले की सुनवाई के लिए केडब्ल्यूडीटी-II को नए विचारार्थ विषय जारी किए जा सकते हैं. तेलंगाना के माननीय सीएम सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेने के लिए सहमत हुए.

- दोनों राज्य नई परियोजनाओं की डीपीआर बोर्ड को तत्काल शीर्ष परिषद के मूल्यांकन और बाद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे. माननीय केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि मूल्यांकन कम से कम समय में किया जाएगा. दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने डीपीआर प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की.

- जैसे कि दोनों राज्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, केआरएमबी का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

- दोनों राज्य, एपी और तेलंगाना के बीच गोदावरी के जल बंटवारे पर निर्णय के लिए गोदावरी ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए सहमत हुए. माननीय केंद्रीय मंत्री ने दोनों राज्यों से अपना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेगा. तेलंगाना के माननीय सीएम ने कहा कि वह ट्रिब्यूनल के गठन के लिए शीघ्र अनुरोध भेजेंगे.

तिलैया - धाधर डायवर्जन योजना के बारे में वार्ता समिति की तीसरी बैठक

बिहार सरकार ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसडब्ल्यूआरडी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को तिलैया धाधर डायवर्जन योजना के विवाद पर दिनांक 04.01.2018 की एक शिकायत को प्रस्तुत किया. ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., के दिनांक 6.01.2020 के पत्र के माध्यम से आईएसडब्ल्यूआरडी अधिनियम, 1956, की धारा 4 (1) के अनुसार, तिलैया धाधर डायवर्सन स्कीम के मुद्दे को हल करने के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक वार्ता समिति का गठन किया गया था.

वार्ता समिति की पहली, दूसरी और तीसरी बैठक क्रमशः 13.02.2020, 23.06.2020 और 01.10.2020 को आयोजित की गई. उक्त बैठकों में बिहार सरकार, झारखंड सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, के प्रतिनिधियों, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. और के.ज.आ., डीवीआरआरसी तथा डीवीसी के अधिकारियों ने भाग लिया.

वार्ता समिति ने पार्टी राज्यों के बीच इस मुद्दे को सुलझाने के लिए काफी प्रयास किए. वार्ता समिति की अंतिम रिपोर्ट 12.10.2020 के पत्र द्वारा अतिरिक्त

सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जलशक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत की गई.

निवेश अनुमति समिति की 14वीं बैठक

वृहद एवं मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में निवेश अनुमति के बारे में सिफारिशें करने के लिए गठित निवेश अनुमति समिति की 14वीं बैठक सचिव (ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि.) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22.10.2020 को आयोजित की गई. बैठक में ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., नीति आयोग, के.ज.आ., बिहार सरकार, मणिपुर सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया. के.ज.आ. से, अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), सदस्य(आरएम), सदस्य(डीएंडआर), मुख्य अभियंता(पीएओ), मुख्य अभियंता(आईएमओ), मुख्य अभियंता, डिजाइन(एनएंडडब्ल्यू) ने बैठक में भाग लिया.

आगे दिए गए विवरणानुसार कुल 4 परियोजनाओं पर विचार किया गया और समिति द्वारा स्वीकार की गईं.

क्रम सं	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रूपए) एवं मूल्य स्तर	राज्य	श्रेणी
1	संतोकगढ़ पुल के अनुप्रवाह पर एचपी-पंजाब सीमा, जिला ऊना तक स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना	46.80 (2013-14)	हिमाचल प्रदेश	बाढ़
2	मणिपुर नदी बेसिन की नदियों में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी कार्य	460.426 (2017)	मणिपुर	बाढ़
3	मणिपुर के लोकटक उप-बेसिन में नदियों / धाराओं और जल निकासी पर बाढ़ प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण	62.14 (2017)	मणिपुर	बाढ़
4	कोसी मेची लिंक परियोजना, बिहार	4900 (2015-16)	बिहार	सिंचाई

के.ज.आ. - सीपीआर समन्वय बैठक

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी-सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) की समन्वय बैठक 26.10.2020 को आयोजित की गई. बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ.; मुख्य अभियंता (आईएमओ), के.ज.आ.; निदेशक (आईएसएम -1) निदेशालय, के.ज.आ., श्री ए.बी. पंड्या, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी) और डॉ. श्रीनिवास चोक्कुला, रिसर्च चेयर, जलशक्ति मंत्रालय ने भाग लिया.

बैठक के दौरान के.ज.आ. ने सीपीआर द्वारा तैयार "कंटूर ऑफ़ कोआपरेशन" पर मसौदा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले बदलावों पर विस्तृत जानकारी साझा की.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की गवर्निंग बाडी की 11वीं बैठक

सदस्य (आरएम), सीडब्ल्यूसी, एनआईडीएम के शासी निकाय के प्रतिनिधियों में से एक है, जो अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह एक वार्षिक बैठक है जो हर साल एनआईडीएम के संचालन पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है जिसमें संगठनों के सुचारू रूप से चलाने के निर्णय लिए जाते हैं और तदनुसार, एनआईडीएम द्वारा कार्य किया जाता है. इसकी 11वीं बैठक 15.10.2020 को आयोजित की गई और इसमें सदस्य(आरएम), के.ज.आ. और निदेशक(एफएफएम), के.ज.आ. ने भाग लिया.

"आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए बहु-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत बनाने'' पर पैनल चर्चा - डब्ल्यूएएसएच सेक्टर"

प्रकृति आज मनुष्यों के सामने आने वाली कुछ सबसे कठिन चुनौतियों का जवाब देती है. यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, हम जो पानी पीते हैं उसे शुद्ध करती है, उपजाऊ मिट्टी को सुनिश्चित करती है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती हैं जो हमें स्वस्थ रहने और बीमारी से बचने में सहायक है. हालांकि, मानव ने अपने कचरे का सही प्रबंधन नहीं करने और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी जैव विविधता को प्रदूषित करके प्रकृति की सीमा का उल्लंघन कर लिया है.

पृथ्वी के सभी जीवों के लिए पानी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण संसाधन है. स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पानी किसी भी सभ्यता की प्रमुख और नितांत आवश्यकता है. जल प्रदूषण उन गंभीर चुनौतियों में से एक है जिसका सामना वर्तमान परिदृश्य में कई देशों द्वारा किया जा रहा है. भारत में, सरकार द्वारा वर्तमान में कई अधिनियम, कानून और नीतियां तैयार की गई हैं, जो कई तरीकों से सतही जल के प्रदूषण से निपटने और नियंत्रित करने के लिए है.

केंद्र और राज्य सरकारें पहले से ही जल के संरक्षण और प्रदूषण से रोकथाम के क्षेत्रों में कई कदम उठा रही हैं. साथ ही देश में पानी के कमी वाले ब्लॉक और जिलों के मुद्दों के समाधान के लिए कई योजनाएं समानांतर रूप से चल रही हैं. कई सरकारें और शैक्षणिक संस्थान भी इस क्षेत्र में शामिल हैं.

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने वर्षों से देश में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में पूरे भारत में फैले नदी बेसिन को शामिल करने वाले निगरानी नेटवर्क के माध्यम से विशेषज्ञता और क्षमताओं का विकास किया है और नदी की गेजिंग / डिस्चार्ज / तलछट और जल गुणवत्ता जैसी निगरानी गतिविधियों के कार्य करता है. के.ज.आ. में 1948 से एक जल प्रेक्षण नेटवर्क है, जिसमें वर्तमान में लगभग 1600 हाइड्रोलॉजिकल प्रेक्षण स्थल शामिल हैं.

वर्ष 1963 से के.ज.आ. देश में एकीकृत जल विज्ञान संबंधी प्रेक्षणों के एक आवश्यक घटक के रूप में पानी की गुणवत्ता और नदी घाटियों में स्थापित किए गए जल गुणवत्ता साइटों पर एकत्र किए गए नदी के पानी के नमूने की निगरानी में लगा हुआ है. प्रारंभ में, के.ज.आ. ने पानी की गुणवत्ता की निगरानी को सिंचाई और अन्य संबंधित उपयोगों के लिए पानी के वर्गीकरण के सीमित उद्देश्य के साथ शुरू किया था. बाद में, नदियों में विशाल प्रदूषण भार के बढ़ते खतरे को महसूस करते हुए, जल गुणवत्ता मानकों की भी निगरानी करना आवश्यक माना गया.

श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. ने 06.10.2020 को आयोजित पैनल चर्चा में अपने संबोधन के दौरान के.ज.आ. की गतिविधियों पर प्रकाश डाला.

डीआरआईपी

कृष्णा राज सागर (केआरएस) बांध में प्रगतिधीन कार्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु बैठक

केआरएस गेट्स प्रतिस्थापन कार्य के लिए डिजाइन और ड्राइंग की मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 05.10.2020 को एक आभासी बैठक आयोजित की गई. बैठक में के.ज.आ., कर्नाटक डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों और ठेकेदार ने भाग लिया.

दिनांक 07.10.2020 को आयोजित त्रिपक्षीय पाइपलाइन समीक्षा बैठक

डीईए, वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक आभासी त्रिपक्षीय पाइपलाइन समीक्षा बैठक, नए डीआरआईपी चरण II और चरण III में भागीदारी के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 07.10.2020 को आयोजित की गई. बैठक में डीईए, विश्व बैंक और के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया.

डीआरआईपी चरण-II और चरण-III की तैयारियों के संबंध में केपीसीएल के साथ दिनांक 08.10.2020 को आयोजित बैठक.

नए डीआरआईपी चरण II और चरण III में भागीदारी के संबंध में तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के साथ 08.10.2020 को एक आभासी बैठक आयोजित की गई. सीपीएमयू ने केपीसीएल को नई योजना में शामिल होने के लिए डीईए और विश्व बैंक की तैयारी मानदंड के बारे में अवगत कराया. प्रबंध निदेशक, केपीसीएल ने आश्वासन दिया कि शेष सभी प्रारंभिक गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी. इस बैठक में श्री वी. पोनुराज, प्रबंध निदेशक, केपीसीएल के नेतृत्व में केपीसीएल प्रतिनिधिमंडल और विश्व बैंक तथा के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया.

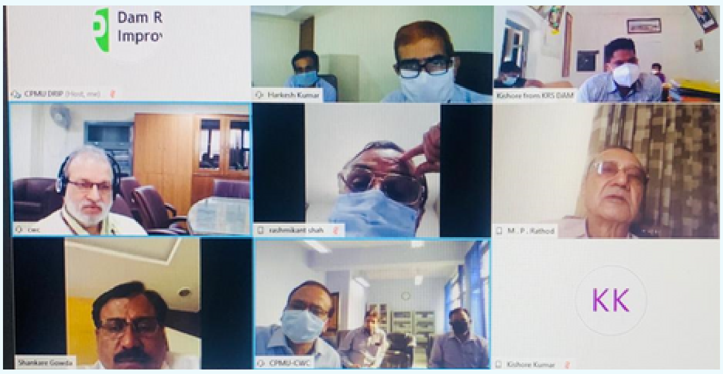

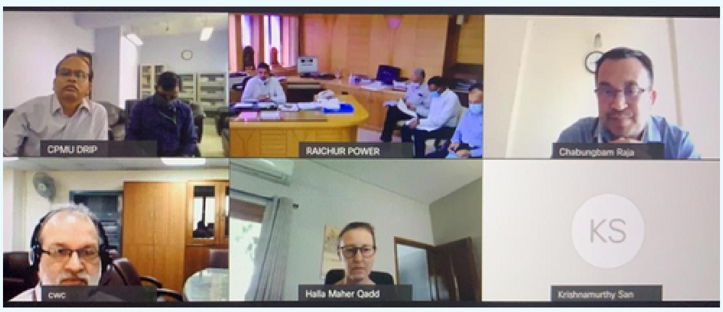

सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दक्षिण-एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं का वर्चुअल लॉन्च

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 23.10.2020 को दक्षिण एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं की आभासी प्लेटफार्म के माध्यम से शुरुआत की. लॉन्च में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ), अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य(आरएम), के.ज.आ और उप निदेशक (एचएम), एफएफएम निदेशालय, के.ज.आ., दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ के सदस्य देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्रीय जल विज्ञान सेवाओं के विभिन्न गणमान्य प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया. अध्यक्ष, के.ज.आ. ने इस अवसर पर बोलते हुए आईएमडी द्वारा अपने लॉन्च-पूर्व संस्करण में प्रदान की गई सेवा की सराहना की और आईएमडी से हाइड्रोलॉजिकल मॉडल में उपयोग के लिए डिजिटल डेटा साझा करने का अनुरोध किया.

कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्रोजेक्ट के लिए संचालन समिति की दूसरी बैठक

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न आपदाओं से प्रभावित आबादी को सचेत करने के लिए सीएपी की एक प्रणाली विकसित की है. के.ज.आ. के बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते संचालन समिति में इसका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा किया जाता है. अध्यक्ष, के.ज.आ. ने सदस्य (आरएम), के.ज.आ. को संचालन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डीओटी) के साथ दूरसंचार विभाग प्रणाली विकसित कर रहा है. सीएपी अलर्ट जारी करने के लिए तमिलनाडु के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पहले ही विकसित की जा चुकी है. 13.10.2020 को संचालन समिति की दूसरी बैठक हुई, जिसमें पूरे देश को कवर करने के तरीके पर चर्चा हुई. समिति ने सीएपी परियोजना के सम्पूर्ण भारत में विस्तार के लिए सी-डॉट के तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया. बैठक में सदस्य(आरएम), के.ज.आ.; एफएफएम निदेशालय, के.ज.आ. के निदेशक और उप निदेशक ने भाग लिया. उप निदेशक(एचएम), एफएफएम निदेशालय परियोजना के लिए के.ज.आ. का प्रतिनिधित्व करने वाले नोडल संपर्क व्यक्ति हैं.

देश में बाढ़ की स्थिति

ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2020 से शुरू हुई. 1 मई से 31 अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान, 11290 बाढ़ पूर्वानुमान (8180 स्तर और 3110 अंतर्वाह) जारी किए गए, जिनमें से 10826 (8075 स्तर और 2751 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 95.89% की प्रतिशत सटीकता के साथ सटीकता की सीमा में थे. केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से अक्टूबर के महीने में चरम बाढ़ स्थिति के लिए 183 ऑरेंज बुलेटिन (तीव्र बाढ़ की स्थिति के लिए) और 113 रेड बुलेटिन जारी किया गया.

01.05.2020 से 31.10.2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

सात बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थति देखी गई.

क्रम सं	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन
1.	असम	शिवसागर	दिखो	शिवसागर
2.	बिहार	गोपालगंज	गंडक	डुमरियाघाट
3.		मुजफरपुर	गंडक	रीवाघाट
4.		समस्तीपुर	बूढ़ी गंडक	रोसेरा
5	ओडिशा	बालासोर	सुवर्णरेखा	मथानी रोड
6	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	गोदावरी	चिंटूरु
7	कर्नाटक	गुलबर्गा	भीमा	देऔनगाँव ब्रिज

36 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थति देखी गई.

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में तीव्र बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों में 88 एफएफ स्टेशनों पर तीव्र बाढ़ की स्थिति देखी गई.

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 33 एफएफ स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गई.

निर्धारित सीमा से ऊपर अंतर्वाह होने वाले जलाशय

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 86 जलाशयों पर निर्धारित सीमा से अधिक अंतर्वाह प्राप्त हुआ.

राष्ट्रीय जल नीति के संशोधन के संबंध में पाँचवीं परामर्श बैठक

जल क्षेत्र में नवीनतम मुद्दों के मद्देनजर, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) के संशोधन की परिकल्पना की गई है और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में डॉ. मिहिर शाह, पूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया.

मसौदा समिति ने 17.08.2020 को राष्ट्रीय जल नीति का पहला मसौदा प्रस्तुत किया. राष्ट्रीय जल नीति की मसौदा समिति की आठवीं बैठक में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के विभिन्न संगठनों से परामर्श लेने का निर्णय लिया गया. नतीजतन, जलशक्ति मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के संगठनों के साथ पांच परामर्श बैठकें आयोजित की गईं.

पाँचवीं परामर्श बैठक 09.10.2020 को आयोजित की गई जिसमें केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और जल शक्ति मंत्रालय के आयुक्तों ने राष्ट्रीय जल नीति के पहले मसौदे पर अपने विचार / टिप्पणियां प्रस्तुत कीं. श्री आर के जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. और डॉ आर के गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. ने एनडब्ल्यूपी (2020) के मसौदे पर के.ज.आ. के विचारों को प्रस्तुत किया. श्री एस.के. हलधर, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. भी परामर्श बैठक के दौरान उपस्थित थे.

"भविष्य में खाद्य सुरक्षा हेतु सिंचाई जल उपयोग दक्षता वर्धन" पर राष्ट्रीय वेबिनार

इंडियन वाटर रिसोर्सेज सोसाइटी (आईडब्ल्यूआरएस) और जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग, आईआईटी रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से "भविष्य में खाद्य सुरक्षा हेतु सिंचाई जल उपयोग दक्षता वर्धन" पर एक राष्ट्रीय वेबिनार 14.10.2020 को आयोजित किया गया. पूरा कार्यक्रम निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है:

https://www.facebook.com/IITRoorkee.ICC/videos/1575004572699765/

7वें भारत जल सप्ताह हेतु तैयारी की गतिविधियाँ

पहली बार वर्ष 2012 में संकल्पित और आयोजित, भारत जल सप्ताह एक औपचारिक मंच है जहाँ जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार सर्व साधारण में जागरूकता पैदा करने, समर्थन प्राप्त करने के लिए संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों और सत्रों के माध्यम से प्रख्यात हितधारकों के साथ चर्चा, वार्ता, रणनीति बनाती है ताकि उपलब्ध पानी के संरक्षण, बचाव और इष्टतम उपयोग के लिए प्रमुख रणनीतियों को लागू किया जा सके.

अब तक यह आयोजन छह बार किया गया है जिसमें पिछला आयोजन वर्ष 2019 में हुआ. वर्ष 2021 में 7वें भारत जल सप्ताह की मेजबानी के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति और अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया है. वैज्ञानिक समिति की पहली बैठक 23.09.2020 को आयोजित की गई जिसमें विषय और उप-विषयों, मसौदा कार्यक्रम, कार्यक्रम सारणी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी आदि को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श किया गया. वैज्ञानिक समिति ने 7वें भारत जल सप्ताह के साथ-साथ वर्ष 2021 में प्रस्तावित ब्रिक्स जल मंच और ब्रिक्स जल मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में भी चर्चा की.

इसके बाद आयोजन समिति की पहली बैठक श्री यू.पी. सिंह, सचिव, डीडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 28.10.2020 को हुई. वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों को विचारार्थ और उचित निर्णय लेने के लिए आयोजन समिति के समक्ष रखा गया. बैठक में लिए गए कुछ निर्णयों को संक्षेप में नीचे बताया गया है.

- 7वें भारत जल सप्ताह के लिए थीम - न्याय संगतता के साथ सतत विकास हेतु जल सुरक्षा
- स्थान- विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- प्रदर्शनी स्थल - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), नई दिल्ली
- अवधि- 16 से 20 नवंबर, 2021 (मंगलवार से शनिवार)

डब्ल्यूआरडीसी के स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेट्जिक रोड मैप की तैयारी के लिए कार्यदल की बैठक

सीएमडीडी (ईएंडएनई) निदेशालय, के.ज.आ., बीआईएस के जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) के रणनीतिक रोड मैप के विकास में शामिल है. यह एक दस्तावेज है जो अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय मानकीकरण के अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा और पांच साल के परिप्रेक्ष्य के साथ एक व्यापक मानकीकरण रोडमैप प्रदान करेगा.

इस संबंध में श्री विवेक त्रिपाठी, निदेशक(सीएमडीडी), के.ज.आ. ने 06.10.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक में भाग लिया. कार्य समूहों ने पांच साल के लिए मानकीकरण कार्य हेतु प्राथमिकता वाले व्यापक विषय क्षेत्रों की पहचान करने से संबंधित कार्यों और खंड समितियों तथा प्रभाग परिषद द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए कार्य शुरू किया. इसके साथ ही कार्य समूह ने उन परियोजनाओं को ध्यान में रखा जो पहले से ही मानक राष्ट्रीय कार्य योजना एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और मानकीकरण गैप के तहत चिन्हित की गई हैं.

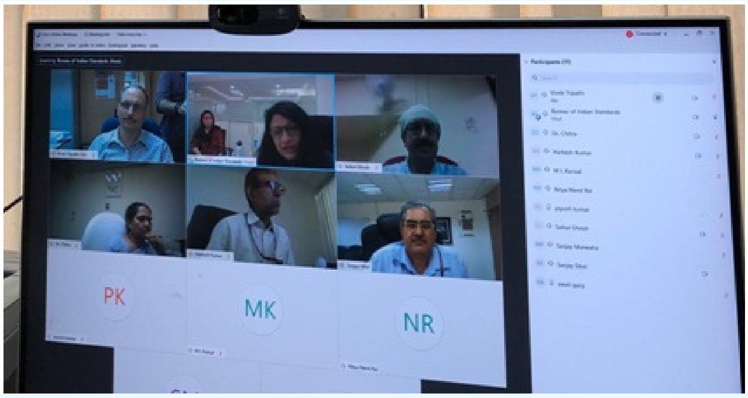

अयोध्या बैराज

अयोध्या बैराज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी (घाघरा) पर प्रस्तावित है. प्रस्तावित बैराज एक्सिस पर नदी तल की ऊंचाई लगभग 85 मीटर है. बैराज की साइट केंद्रीय जल आयोग की अयोध्या जीएंडडी साइट के बहुत करीब है, जहां नदी का दीर्घकालिक निस्सरण (डिस्चार्ज) डेटा उपलब्ध है. घाघरा एक बारहमासी अंतर-सीमा नदी है जो समुंद्र तल से लगभग 3962 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार पर शुरू होती. यह नदी नेपाल से होकर बहती है और भारत में ब्रह्मघाट पर शारदा नदी में मिलती है. नदी को नेपाल में करनाली के नाम से भी जाना जाता है. यह नदी बिहार के रेवलगंज में गंगा नदी में शामिल होने से पहले लगभग 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है.

बैराज के लिए जल उपलब्धता अध्ययन के.ज.आ. द्वारा किया गया है और परियोजना प्राधिकरण को भेजा गया है.

श्री एनएन राय, निदेशक जल विज्ञान (दक्षिण) ने प्रस्तावित बैराज परियोजना हेतु हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन के संबंध में 31-10-2020 को उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्तावित अयोध्या बैराज परियोजना स्थल का दौरा किया.

जलाशय प्रबोधन

केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश भर के 123 जलाशयों के सक्रिय भंडारण की निगरानी करता है और हर ब्रहस्पतिवार को इसका एक बुलेटिन जारी करता है. इन जलाशयों में से 43 जलाशयों में 60 में.वा. से अधिक संस्थापित जल विद्युत् क्षमता है. इन 123 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 171.091 बीसीएम है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.36 % है.

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 29.10.2020 के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 147.714 बीसीएम है ज़ो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 86% है. हालाँकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान उपलब्ध सक्रिय भंडारण 153.535 बीसीएम और पिछले 10 वर्ष में सक्रिय औसत भंडारण 125.881 बीसीएम था. इस प्रकार दिनांक 29.10.2020 के बुलेटिन के अनुसार इन 123 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सक्रिय भंडारण का 96% और पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 117% है.

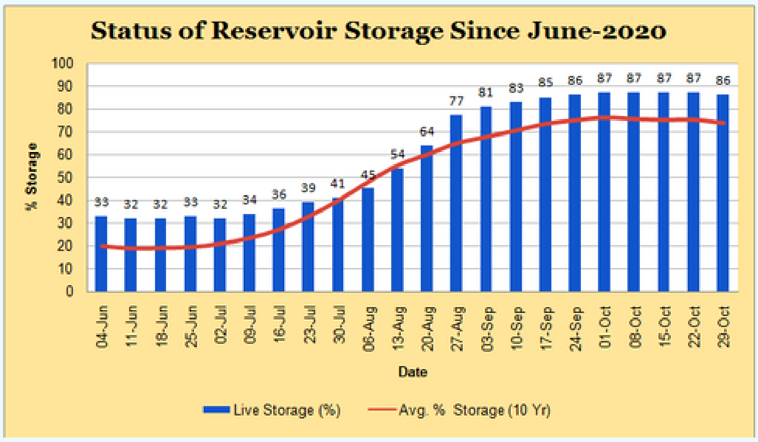

देश भर में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और नदी प्रबंधन गतिविधियों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों पर कार्यनीति बनाने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक (2020-23)

बैठक नीति आयोग में उपाध्यक्ष (नीति आयोग) की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से 19.10.2020 को हुई. बैठक में के.ज.आ. से सदस्य(आरएम), के.ज.आ.; मुख्य अभियंता(एफएमओ), के.ज.आ. और निदेशक(एफएमपी), के.ज.आ. ने भाग लिया.

बैठक के दौरान, "देशभर में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और नदी प्रबंधन गतिविधियों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों" पर चर्चा की गई और प्रतिभागियों द्वारा नीति आयोग की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए.

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक

भारत सरकार द्वारा गठित ब्रह्मपुत्र की स्थायी समिति जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अध्यक्ष, सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ., सचिव, जल संसाधन विभाग, असम सरकार, वित्तीय सलाहकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सदस्य तथा महाप्रबंधक, ब्रह्मपुत्र बोर्ड को संयोजक सदस्य के रूप में नामित किया गया है. इसका कार्य वार्षिक कार्य योजना / बजट आबंटन की जांच, कार्यों की प्राथमिकता तय करने तथा वित्तीय शक्ति का प्रयोग करने व वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए है.

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16.10.2020 को आयोजित की गई.

बैठक के दौरान कार्यसूची के निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

- ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान का आयोजन - रिवर राफ्टिंग अभियान
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन
- बेहतर बेसिन प्रबंधन हेतु पूर्वोत्तर भारत में अच्छे जल प्रबंधन अभ्यास हेतु आकलन- ईटानगर में क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत एक प्रायोगिक परियोजना
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)
- ब्रह्मपुत्र नदी पर मिकिरगाँव क्षेत्र कटाव-रोधी परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करना

आईएमसीटी दौरा

मानसून -2020 के दौरान बाढ़ / भूस्खलन की स्थिति का मौके पर जाकर आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का गठन किया गया है. इन आईएमसीटी में ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए के.ज.आ. के अधिकारियों को नामित किया गया था.

उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित जिलों का और अधिकारियों के साथ बैठक की. उनके दौरे के विवरण को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है.

क्रम. सं.	राज्य	दौरे की अवधि	जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी	दौरे वाले जिले
1	सिक्किम	05 से 09 अक्टूबर	श्री शिव प्रकाश, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., गंगटोक	पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम
2	तेलंगाना	22 से 23 अक्टूबर	श्री एम. रघुराम, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., हैदराबाद	सिदिपेट, यदादरी भुवनागिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी

श्री जीएल बंसल, निदेशक, के.ज.आ., आगरा को मार्च 2020 के महीने में ओलावृष्टि के मद्देनजर नुकसान के आकलन के लिए उत्तर प्रदेश हेतु अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के सदस्य के रूप में नामित किया गया. उन्होंने 12 से 16 अक्टूबर, 2020 तक टीम के अन्य सदस्यों के साथ ओलावृष्टि के दौरान नुकसान के आकलन के लिए चित्रकूट और मिर्जापुर जिले (उत्तर प्रदेश) का दौरा किया और लखनऊ में 16.10.2020 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक संक्षिप्त बैठक में भाग लिया.

ट्रेड टॉक्स पर वेबिनार- फ्यूचर पाथवेज फॉर फ़ेडरल गवर्नेंस ऑफ़ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज, वक्ता - डॉ. बी.के.पिल्लई, आयुक्त, जल शक्ति मंत्रालय

सीपीआर- के.ज.आ. डायलॉग फोरम ने ट्रेड टॉक्स की श्रृंखला में अपनी 9वीं वार्ता 21.10.2020 को आयोजित की. इसका शीर्षक था, 'फ्यूचर पाथवेज फॉर फ़ेडरल गवर्नेंस ऑफ़ इंडिया वाटर रिसोर्सेज' और इस वार्ता को डॉ. बी. रवि कुमार पिल्लई, आयुक्त (कमान क्षेत्र विकास), ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबोधित किया गया. इस वार्ता में जल संसाधनों की कार्यनीति प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को संबोधित करते हुए, इस क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिए संघीय दृष्टिकोण के सिद्धांत, जल संसाधनों के सतत विकास के लिए कमी और अधिशेष के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल रहा.

अपनी वार्ता में डॉ. पिल्लई ने उस क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव रखा जो नियोजित विकास के मूलभूत एल्गोरिथम को फिर से स्थापित करने, क्षेत्र-आधारित डेटा प्रणाली बनाने, राज्यों के संस्थानों के पुनर्गठन और एकीकृत नदी बेसिन मूल्यांकन को बहाल करने पर आधारित थे. उन्होंने जोर दिया कि यह लोक नीति पेशेवरों को जल अभिशासन में भविष्य की चुनौतियों के लिए सुसंगत संघीय प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगा. चर्चा में उन तरीकों पर एक विस्तृत नजरिया शामिल किया गया जिनमें इन

सुधारों को संघीय जल प्रशासन के लिए मौजूदा चुनौतियों के बीच लागू किया जा सकता है. उपरोक्त वार्ता को निम्न लिंक से देखा जा सकता है.
https://www.youtube.com/watch?v=tYxny_BWT3I

ट्रेड टॉक्स श्रृंखला सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एवं केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास का एक हिस्सा है.

ग्लेशियल झील प्रबोधन

हर साल जून से अक्टूबर के दौरान के.ज.आ. उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए उन ग्लेशियल झीलों (जीएल) और जल निकायों (डब्ल्यूबी) के आकार पर नज़र रखता है जो हिमालयी क्षेत्र में 50 हेक्टेयर से अधिक बड़े होते हैं. इन्हें वर्ष 2009 में डिजिटल किया गया था और इनके वर्तमान आकारों को वर्ष 2009 के आकार की तुलना में विश्लेषण किया जाता है. क्लाउड-फ्री डेटा की उपलब्धता के कारण ग्लेशियल झीलों और जल निकायों की निगरानी की संख्या भिन्न-भिन्न होती है. अक्टूबर-2020 में उनके आकार में बदलाव का सारांश सामने के चार्ट में दिया गया है. पूर्ण रिपोर्ट निम्न यूआरएल से देखी जा सकती है:
http://www.cwc.gov.in/sites/default/files/monitoring-glacial-lakes-water-bodies-himalayan-region-indian-river-bodies-oct-2020.pdf

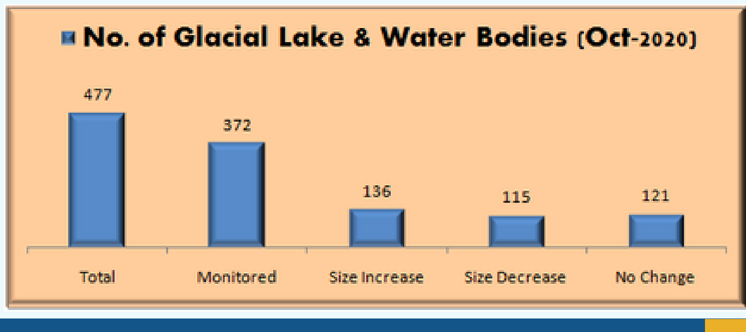

डाटा कॉर्नर-जल विद्युत् क्षमता विकास की स्थिति - बेसिनवार

(25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता के संदर्भ में)

(दिनांक 30.09.2020 तक)

बेसिन	मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार चिन्हित क्षमता		प्रचालनाधीन क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		प्रचालनाधीन क्षमता + निर्माणाधीन क्षमता		क्षमता जिसके लिए निर्माण अभी बाकी है	
	कुल	25 मे.वा. से अधिक								
	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)
सिन्धु	33832	33028	14294.3	43.28	4735.5	14.34	19029.8	57.62	13998.2	42.38
गंगा	20711	20252	5317.2	26.26	1645.0	8.12	6962.2	34.38	13289.6	65.62
मध्य भारतीय नदियाँ	4152	3868	3147.5	81.37	400.0	10.34	3547.5	91.71	320.5	8.29
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ	9430	8997	5631.7	62.60	100.0	1.11	5731.7	63.71	3265.3	36.29
पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ	14511	13775	8249.0	59.88	960.0	6.97	9209.0	66.85	4566.0	33.15
ब्रह्मपुत्र बेसिन	66065	65400	4274.00	6.54	3553.0	5.43	7827.0	11.97	57573.0	88.03
अखिल भारत	**148701**	**145320**	**40913.6**	**28.15**	**11393.5**	**7.84**	**52307.1**	**35.99**	**93012.9**	**64.01**

नोट:-

स्रोत:सीईए

1. इसमें पंप भंडारण योजनाएं शामिल नहीं हैं.
2. कुछ राज्यों में कुल विकसित क्षमता और शेष क्षमता का योग आकलित क्षमता से अलग है. इसका कारण योजनाओं की क्षमता में परिवर्तन, योजनाओं का जोड़ा जाना / हटाना और दो योजनाओं का एक में विलय आदि है.
3. उपरोक्त के अतिरिक्त 9 पीएसएस (4785.6 मे.वा.) प्रचालनाधीन हैं, 3 पीएसएस (1580 मे.वा.) निर्माणाधीन हैं और 1 पीएसएस (1000 मे.वा.)के लिए सीईए द्वारा सहमती दे दी गई है, 1 PSS (1200 मे.वा.) की सीईए में जाँच हो रही है और 8 पीएसएस (7530 मे.वा.) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अधीन है और 660 मेगावाट का पीएसएस रोकी गई सूची में है.

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्स

अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय जल अकादमी, के.ज.आ. द्वारा अन्य औद्योगिक भागीदारों के साथ "सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली" पर पहला संयुक्त ऑन-लाइन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है. यह पाठ्यक्रम 07.10.2020 को शुरू किया गया जिसमें 180 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण (भारतीय-79 और अंतर्राष्ट्रीय-101) चल रहा है. प्रशिक्षण के लाभार्थी कृषि जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर और कृषि जल प्रबंधन के व्यापक पहलुओं की ओर उन्मुख शैक्षणिक कार्यक्रमों के छात्र हैं.

इस पाठ्यक्रम को एमआईएस पर निम्नलिखित 3 मुख्य मॉड्यूल के माध्यम से संभावित प्रशिक्षु की सीखने की जरूरतों के अनुरूप एक अंतर्निहित लचीलेपन के साथ डिजाइन किया गया है:

- एग्रोनोमिक पहलू
- इंजीनियरिंग पहलू
- प्रबंधन पहलू

प्रतिभागी ऑडियो-वीडियो लेक्चर, वेबिनार, असाइनमेंटस, क्विज़, हैंड्स-ऑन गतिविधियों और पाठ्यक्रम के संकाय के साथ फेस-टू-फेस ऑनलाइन संवाद के माध्यम से इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए गहन शिक्षण अभ्यास कर रहें हैं जो उनके व्यावसायिक परिचय पत्र की साख में वृद्धि करेगा.

पाठ्यक्रम को एक मूडल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है – जो एक ओपन सोर्स शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है इसे व्यक्तिगत शिक्षण वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों, प्रशासकों और शिक्षार्थियों को एक ही ठोस, सुरक्षित और एकीकृत प्रणाली प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ऑनलाइन पाठ्यक्रम में पठन सामग्री, पूर्व-रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, वीडियो, प्रस्तुतियाँ, इंटरैक्शन, चर्चा, वेबिनार आदि इस यूआरएल पर उपलब्ध हैं:
https://icid.moodlecourse.com/

पटना में के.ज.आ. / जीएफसीसी के निर्माणाधीन भवन का वर्चुअल दौरा

अध्यक्ष, के.ज.आ., ने सदस्य(आरएम). के.ज.आ. के साथ पटना के अदालतगंज में निर्माणाधीन के.ज.आ./जीएफसीसी के कार्यालय भवन का 20.10.2020 को वर्चुअल दौरा किया. अधीक्षण अभियंता(समन्वय), एलजीबीओ ने कार्यालय भवन के सामने वाले हिस्से सहित सभी हिस्सों के अवलोकन की व्यवस्था की.

अक्टूबर 2020 तक के.ज.आ. से संबंधित विभिन्न योजनाओं / घटकों की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	योजना/घटक का नाम	बीई 2020-21	व्यय	व्यय (% में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	140.00	57.239	40.885%
2	जल संसाधन विकास की अन्वेषण योजनाएं (आईडब्ल्यूआरडी)	12.00	4.493	37.44%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.910	5.439	22.75%
4	अवसंरचना विकास (आईडी) योजनाएं	20.200	0.060	0.297%
5	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	14.6225	2.7897	19.08%
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना	18.46	9.02	48.86%

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	लक्ष्य समूह	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि	स्थिति
1.	मीडिया पेशेवरों के लिए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भारत में जल संसाधन क्षेत्र के अवलोकन पर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला	05 से 09 अक्टूबर 2020	मीडिया पेशेवरों के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम	35	1 सप्ताह	पूर्ण
2.	सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र कोर्स	07.10.2020 से प्रारंभ	आईसीआईडी द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी और एनडब्ल्यूए द्वारा आमंत्रित मनोनीत	180	3 माह	चल रहा है
3.	बाढ़ पूर्वानुमान और माइक मॉडलिंग पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण	05 से 16 अक्टूबर 2020	अपने मंत्रालय / विभाग हेतु	100	2 सप्ताह	पूर्ण
4.	कनिष्ठ अभियंता के लिए अनिवार्य संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम, के.ज.आ. (बैच -2)	05 से 30 अक्टूबर 2020	के.ज.आ. के कनिष्ठ अभियंताओं के लिए	40	4 सप्ताह	पूर्ण
5.	ई-गवर्नेंस टूल्स पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण	12 से 16 अक्टूबर 2020	अपने मंत्रालय / विभाग के लिए	120	1 सप्ताह	पूर्ण
6.	के.ज.आ. के वैज्ञानिक अनुसंधान सहायक (एसआरए) के लिए अनिवार्य स्तर 2 का प्रशिक्षण कार्यक्रम	19- 30 अक्टूबर 2020	अपने मंत्रालय / विभाग के लिए	16	2 सप्ताह	पूर्ण
7.	सहायक निदेशक -II / एसडीई, के.ज.आ. (बैच -2) के लिए अनिवार्य संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम	12 अक्टूबर से नवम्बर 2020	के.ज.आ. के सहायक निदेशक -II / एसडीईके लिए	40	4 सप्ताह	चल रहा है
8.	वेबिनार 1: भारत में जल संसाधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान	19.10.2020	अपने मंत्रालय सहित राज्य, केंद्रीय संगठन आदि	192	1 दिन	पूर्ण
9.	वेबिनार 2: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका से संबंधित मौजूदा केंद्रीय कानून और अधिनियम	26.10.2020	अपने मंत्रालय सहित राज्य, केंद्रीय संगठन आदि	159	1 दिन	पूर्ण
10.	वेबिनार 3: भारत में मौजूदा और प्रस्तावित जल विधान का अवलोकन	29.10.2020	अपने मंत्रालय सहित राज्य, केंद्रीय संगठन आदि	86	1 दिन	पूर्ण

एनएबीएल से मान्यता प्राप्त के.ज.आ. की जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं

जल संसाधनों के मूल्यांकन में जल की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू है.के.ज.आ. पूरे देश में फैली अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से नदियों में पानी की गुणवत्ता पर निगरानी रखता है. इन प्रयोगशालाओं में पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए विभिन्न स्तर की सुविधाएँ हैं. स्तर 1 प्रयोगशालाएं प्राथमिक भौतिक पैरामीटर परीक्षण के साथ प्रेक्षण साइट के पास हैं. उच्च स्तर की सुविधाएं स्थापित प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं जहां भारी धातु/विषाक्त पदार्थों सहित भौतिक, रासायनिक और जैविक मापदंडों का निर्धारण करने के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध हैं. प्रयोगशाला सुविधाओं के मानक को आश्वस्त करने के लिए इन प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्क्रेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लेबोरेटरीज़ (एनएबीएल) द्वारा मान्यता दी जा रही है. अक्टूबर 2020 के दौरान के.ज.आ. की जम्मू स्थित जल गुणवत्ता प्रयोगशाला को मानक आईएसओ/आईईसी 17025: 2005 के अनुसार एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुई है. अब, के.ज.आ. के पास पूरे भारत में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त 13 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ हैं.

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

NABL

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

INDUS BASIN RIVERS WATER QUALITY LABORATORY

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2017

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

CENTRAL WATER COMMISSION,JAL AYOG BHAWAN, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR, INDIA

in the field of

TESTING

Certificate Number: TC-9038

Issue Date: 14/10/2020 Valid Until: 13/10/2022

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.
(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Name of Legal Identity : Indus Basin Rivers Water Quality Laboratory

Signed for and on behalf of NABL

N. Venkateswaran
Chief Executive Officer

जल क्षेत्र समाचार

- देश में चार महीने के मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश हुई (द पायनियर, 01.10.2020)
- मोदी ने जल जीवन अभियान के लिए सरपंचों को पत्र लिखा (हिन्दुस्तान, 02.10.2020)
- उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का लोकार्पण (हिन्दुस्तान, 06.10.2020)
- हाड़ौती व मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा सिंचाई का भरपूर पानी (राजस्थान पत्रिका, 07.10.2020)
- जलज सफारी का आनलाइन शुभारंभ किया (हिन्दुस्तान, 13.10.2020)
- पुरी के गोल्डन बीच, राधानगर, शिवराजपुर सहित 8 सी—बीच को ब्लू फ्लैग सार्टिफिकेट (दैनिक भास्कर, 13.10.2020)
- आंध्र और तेलंगाना में बारिश के कहर से 21 की मौत, हैदराबाद में 117 साल बाद अक्टूबर में रिकार्ड बारिश (दैनिक भास्कर, 15.10.2020)
- कृष्णा नदी से मार्च तक चेन्नई को मिलेगा पानी (राजस्थान पत्रिका, 16.10.2020)
- महाराष्ट्र में कम बारिश, सोलापुर में बाढ़ जैसे हालात बरकरार (अमर उजाला, 17.10.2020)
- भारत में इजराइल नियुक्त करेगा 'जल अताशे' (जनसत्ता, 20.10.2020)
- सेंट्रल विस्टा को यमुना से जोड़ेगी केंद्र सरकार (हिन्दुस्तान, 23.10.2020)
- पौने दो लाख साल पहले बीकानेर में बहती थी नदी (राजस्थान पत्रिका, 25.10.2020)
- बिलासपुर और सूरजपुर को जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (हरि भूमि, 29.10.2020)
- जल जीवन मिशन को राज्य सरकारें लगा रहीं पलीता (राष्ट्रीय सहारा, 31.10.2020)

"भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद" पर वेबिनार

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा जल विवादों और विभिन्न प्रकार के विवादों के मामले में शामिल प्रक्रियाओं की समझ और सभी हितधारकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए "भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों" पर वेबिनार श्रृंखला संकल्पित किया गया है ताकि उनकी कार्य क्षमताओं में पानी से संबंधित विवादों को सुलझाने में प्रभावी योगदान दिया जा सके. दिनांक 19.10.2020 को वेबिनार श्रृंखला शुरू हुई. वेबिनार का विस्तृत कार्यक्रम नीचे दिया गया है.

तारीख	वेबिनार का विषय / वीडियो लिंक
19.10.2020	**भारत में जल संसाधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान** https://youtu.be/mRiNMz0RZuo
26.10.2020	**भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित मौजूदा केंद्रीय कानून और अधिनियम तथा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका** https://youtu.be/rIXpf3g2ErU
29.10.2020	**भारत में मौजूदा और प्रस्तावित जल विधान का अवलोकन** https://youtu.be/ChO1_wL98o
02.11.2020	राष्ट्रीय जल नीति
09.11.2020	अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण
18.11.2020	अंतर्राष्ट्रीय नदी जल साझाकरण सिद्धांत / अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के अनुकूलनीय नियम
23.11.2020	भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियां: गोदावरी जल विवाद - केस अध्ययन
01.12.2020	भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियाँ - कृष्णा जल विवाद I - केस अध्ययन
07.12.2020	भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियाँ - कृष्णा जल विवाद II - केस अध्ययन
14.12.2020	भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियाँ- नर्मदा जल विवाद - केस अध्ययन
21.12.2020	भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियाँ - रावी और ब्यास जल विवाद - केस अध्ययन
28.12.2020	भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियाँ -कावेरी जल विवाद - केस अध्ययन
04.01.2021	भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियाँ - वामसधारा जल विवाद - केस अध्ययन
11.01.2021	भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियाँ - महादयी जल विवाद - केस अध्ययन
18.01.2021	अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को समझने और समाधान के लिए हितधारकों के कार्यढांचे का उपाय
25.01.2021	जल साझा करने के लिए समझौते
01.02.2021	अंतरराज्यीय नदी जल विवाद और जल अभिशासन - मुद्दे और चुनौतियां
08.02.2021	नदी परियोजनाओं को आपस में जोड़ने में अंतर-राज्यीय मुद्दों की चुनौतियाँ

आगामी प्रतिस्पर्धा — नेशनल आनलाइन क्विज कम्पटीशन आन "वाटर"

प्रकाशन: बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी नेटवर्क मूल्यांकन रिपोर्ट-2019

केंद्रीय जल आयोग ने यमुना नदी पर राष्ट्रीय राजधानी के लिए पुरानी दिल्ली पुल पर एक पूर्वानुमान स्टेशन स्थापित करके नवंबर 1958 में भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाओं की शुरुआत की थी. बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी स्टेशनों का नेटवर्क धीरे-धीरे पूरे देश में विस्तारित हुआ है, जिसमें लगभग सभी प्रमुख अंतर-राज्यीय बाढ़ प्रवण नदी बेसिनों को शामिल किया गया है. के.ज.आ. द्वारा जारी बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदर्शन और अन्य संबद्ध पहलुओं का आकलन करने के लिए हर साल बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी नेटवर्क मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है.

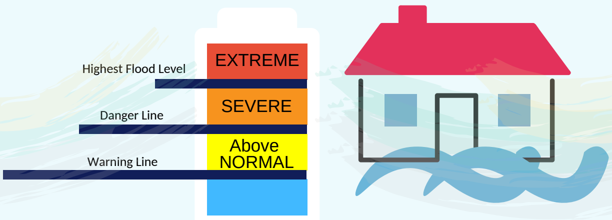

वर्ष 2019 के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का विस्तार 325 स्टेशनों तक किया गया जिसमें 20 प्रमुख नदी बेसिनों में 197 स्तर और 128 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन शामिल थे. इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू व कश्मीर और दमन व दीव के केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 22 राज्यों को शामिल किया गया. आयोग की बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियों को हर साल मई से दिसंबर के बीच अपने 29 क्षेत्रीय मंडलों के माध्यम से जब भी नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर को छू जाता है अथवा बाढ़ के पूर्वानुमान स्टेशनों पर चेतावनी स्तर पार होने की उम्मीद होती है तब राज्यों के प्राधिकारियों के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों के अन्य संगठनों को बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की जाती है. वर्ष 2019 में बाढ़ के मौसम के दौरान 197 स्टेशनों में से 145 स्टेशनों के लिए स्तर पूर्वानुमान जारी किए गए और 128 अंतर्वाह स्टेशनों में से 75 जलाशय / बांध / बैराज के लिए बाढ़ के पूर्वानुमान जारी किए गए. जब कभी भी जलाशयों में अंतर्वाह की सीमा संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शुरुआती सीमा से ऊपर पहुँच जाता है तब जलाशय नियमन के साथ-साथ बाढ़ संतुलन के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी किया जाता है.

वर्ष 2019 में बाढ़ के मौसम के दौरान 4 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखीगई. 98 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर तीव्र बाढ़ की स्थिति देखी गई और 41 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर की बाढ़ स्थिति देखी गई. नेटवर्क के 128 जलाशयों में से 75 जलाशयों के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी किए गए. इस वर्ष की प्रमुख बाढ़ की घटनाओं में असम में ब्रह्मपुत्र, बिहार में कमला बलान और महाराष्ट्र में गोदावरी और कृष्णा में चरम बाढ़ थी.

वर्ष 2019 के दौरान 9754 पूर्वानुमान जारी किए गए जिनमें से 8451 पूर्वानुमान (86.64%) सटीकता सीमा के भीतर पाए गए. वर्ष 2019 के दौरान जारी किए गए स्तर पूर्वानुमानों की संख्या 6004 थी जिनमें से 5773 (96.15%) ± 0.15 मीटर की सटीकता सीमा के भीतर थे. जारी किए गए अंतर्वाह पूर्वानुमानों की संख्या 3750 थी जिनमें से 2678 (71.41%) ± 20% की सटीकता सीमा के भीतर थे. आईएमडी की 5-दिवसीय वर्षा की चेतावनी के आधार पर दैनिक बाढ़ स्थिति रिपोर्ट सह सलाह(डीएफएसआईटीआरईपीसीए) दैनिक आधार पर जारी किए गए. डीएफएसआईटीआरईपीसीए में असम, बिहार और महाराष्ट्र में चरम बाढ़ के बारे में अग्रिम राहत और बचाव कार्य जारी किए गए थे जिसे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लाभार्थियों द्वारा सराहा गया था.

बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी नेटवर्क मूल्यांकन रिपोर्ट -2019 को निम्न लिंक से देखा जा सकता है.

http://cwc.gov.in/sites/default/files/ffwnpr-2019.pdf

दीर्घा

वैनगंगा नदी की आशती एचओ साइट पर डिस्चार्ज का प्रेक्षण

उत्तरी सिक्किम के संकलंग साइट पर निस्सरण प्रेक्षण

एनईआईडी-II, के.ज.आ., आइजोल में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ

लद्दाख के कठिन इलाके में साइटों को जीटीएस बेंच मार्क के साथ जोड़ने के लिए के.ज.आ. की टीम कार्य पर

कोसी नदी के बालतारा जीडीएसक्यू साइट पर एडीसीपीका परीक्षण

झारखंड राज्य में अन्वेषण के अधीन परियोजना हेतु एकत्रित किए जा रहे मिट्टी के नमूने

जम्मू (लुडेरा खुल और धन खुल) में सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं हेतु प्रबोधन दौरा. पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है

झारखंड में परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण हेतु प्रगतिधीन ड्रिलिंग कार्य

मोमपानी, लोहित नदी, अरुणाचल प्रदेश

राज्यों से

जम्मू व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने श्री घनश्याम झा को जम्मू व कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है. श्री झा केंद्रीय जल आयोग और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं.

शोक सन्देश

केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को श्री आर.सी. झा, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ. के साथ कार्य करने की बहुत सी यादें है और दिनांक 24.10.2020 को उनके असामयिक निधन के बारे में जानकर सभी को बहुत ही सदमा लगा. दिनांक 26.10.2020 को के.ज.आ.- मुख्यालय में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक शोक सभा आयोजित की गई. बड़ी संख्या में के.ज.आ. के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया.

इंजीनियर झा केंद्रीय जल अभियांत्रिकी समूह - 'क' सेवा में 19.07.1975 में शामिल हुए और विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों नामतः के.ज.आ., जीएफसीसी और एनडब्ल्यूडीए का नेतृत्व किया. अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने गेट / हाइड्रो-मैकेनिकल डिज़ाइन में उत्कृष्ट सेवाएँ दी. वर्ष 2001 से 2005 के दौरान लगभग 5 वर्षों की अवधि के लिए उन्होंने मुख्य अभियंता (पीएओ), के.ज.आ. के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जोकि के.ज.आ. के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है तथा जो देश में विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए जिम्मेदार है. उन्होंने 12.02.2008 से 31.08.2011 के दौरान तीन वर्षों से अधिक समय तक सदस्य (नदी प्रबंधन) के.ज.आ. के रूप में कार्य किया. उन्होंने लगातार नवाचार और नए अवसरों पर बल दिया. उन्होंने तटीय प्रक्रियाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र करने हेतु के.ज.आ. को महत्वपूर्ण निर्देश दिए और उनके नेतृत्व में एडीबी सहायता प्राप्त सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को अपेक्षित मंजूरी दी जा सकी.

अध्यक्ष, के.ज.आ. के रूप में उनका कार्यकाल जुलाई 2012 तक लगभग 11 महीने

Shri R. C. Jha
(02-JUL-1952 TO 24-OCT-2020)
Former Chairman, CWC
(01-SEP-2011 to 31-JUL-2012)

का रहा. इस अवधि के दौरान उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रणाली भारत-जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) का अनावरण किया गया. उन्होंने भारतीय जल संसाधन सोसायटी (आईडब्ल्यूआरएस) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया. सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने एक निदेशक के तौर पर वाप्कोस के लिए और विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत सरकार के बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) में एक हाइड्रो-मैकेनिकल विशेषज्ञ के रूप में अपना पेशेवर योगदान जारी रखा.

इंजीनियर झा, असाधारण रूप से मृदुभाषी और दयालु व्यक्तित्व के थे जिन्होंने कई लोगों की जरूरत में मदद की और वह हमेशा सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहते थे. उन्होंने संगठन में व्यक्तिगत रूप के साथ-साथ पेशेवर क्षमता में एक अमिट छाप छोड़ी जिसका प्रभाव सभी के द्वारा महसूस किया जा सकता है . उनके जाने से हम सभी बहुत दुखी हुए हैं और यह संगठन शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे पुण्य आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को अपूरणीय क्षति सहन करने के लिए शक्ति और साहस दें.

इतिहास- भाखड़ा लोकार्पण दिवस 22.10.1963

भाखड़ा बांध दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची हाइड्रालिक संरचनाओं में से एक है जिसका निर्माण कई वर्षों के सचेत अन्वेषणों, योजना और निष्पादन के बाद पूर्ण हुआ था. इस योजना का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू द्वारा 23.10.1963 को किया गया था जो इस अति विशाल राष्ट्रीय प्रयास के पीछे निरंतर प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत थे. इस तरह की परिणिति न केवल पंजाब, जहां परियोजना स्थित है बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही संतुष्टि का विषय है क्योंकि भाखड़ा से प्राप्त होने वाले लाभ किसी न किसी रूप में सभी को साझा किए जाने थे.

भाखड़ा बांध का भारत की परियोजनाओं में एक प्रमुख स्थान है. इसके बेमिसाल आकार, लागत और लाभ, उत्पत्ति, परियोजना की अवधारणा के विकास, जटिल कारक जो इसके निर्माण में बाधक रहे और निष्पादन के दौरान आने वाली असामान्य कठिनाइयों का समाधान करने मे भाखड़ा को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अद्वितीय परियोजना के रूप में स्थापित करते हैं.

हालांकि, मोटे तौर पर सदी की शुरुआत में भारत के विभाजन ने भाखड़ा के संकीर्ण गार्ज में एक ऊँचा बांध और इसके पीछे सतलज के विशाल भंडारण के लिए आशाओं और संभावनाओं को तत्काल और स्पष्ट वास्तविकता दी. पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित लाखों भारतीय, मेहनती और कुशल कृषक, अचानक खुद को अपनी आजीविका के साधन से वंचित पा रहे थे. अच्छी और उत्पादक कृषि के लिए पानी की कमी थी जबकि पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी. हजारों विस्थापित कारीगर उद्योग लगाने के लिए तैयार थे लेकिन पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं थी. सतलज जल के संग्रहण ने पूर्वी पंजाब के नए राज्य और नव स्वतंत्र भारत के सामने आने वाली विशाल मानवीय समस्या में कम से कम एक तात्कालिक समाधान प्रस्तुत किया. इस चुनौती को स्वीकार किया गया और उस पर विजय हासिल कर ली गई.

इसलिए भाखड़ा बांध नए भारत के उदय से जुड़ा हुआ है और यह सोचना उचित होगा कि भाखड़ा की सफल पूर्णता देश की आकांक्षा और उपलब्धियों का प्रतीक है.

सतलज नदी के तल की दुस्साध्य मिट्टी में एक गहरी खुदाई करना और उसमें बुनियाद डालने में अन्वेषण, डिजाइन और तकनीक, कई पहलुओं में बांध निर्माण के वर्तमान तरीकों के लिए एक सकारात्मक योगदान है. कर्मियों और संगठन की बढ़ती और जटिल समस्याओं के बावजूद व्यावहारिक और संपूर्ण परियोजना का निर्माण विभागीय रूप से करने, व्यावहारिक रूप से सभी पहल करने और जिम्मेदारी देने का भारत में परियोजना इंजीनियरिंग के इतिहास में एक अनुकरणीय प्रयास है. इंजीनियरिंग के इस असाधारण कार्य में विदेशी सलाहकारों और कर्मियों द्वारा इच्छुक और मूल्यवान योगदान दिया गया.

इस उत्सव के दिन हम इस परियोजना के लिए सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े, नामित व गुमनाम, ज्ञात और अज्ञात, उन सभी निर्माताओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं जिन्होंने इस शानदार उपलब्धि में योगदान दिया है और जिस पर कोई भी देश गर्व कर सकता है.

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in